

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1)विभाग

क्रमांक: प. 1 ( 09 )/एम.ई/ग्रुप-1/2008

जयपुर, दिनांक: 13/11/17

संशोधित आदेश


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19.06.2017 द्वारा डॉ० नरेन्द्र परमार, को वरिष्ठ प्रदर्शक, फार्माकोलोजी के पद पर वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 एवं क्रमांक एफ.14( 1 )एफडी/रूल्स/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 के अनुसार निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक रुपये 22,180/- प्रतिमाह की दर पर तथा वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1 (2) एफडी/रूल्स/06 दिनांक 03.07.2014 के तहत अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षाकाल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान की गई थी।

चूंकि डॉ० नरेन्द्र परमार पूर्व से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः इन्हें वेतन भत्ते वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.03.2006 के अनुरूप प्रदान किये जावेंगे।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम व पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग जिसमें चयन हुआ	पदस्थापन स्थान	वर्ग जिसमें चयनित हुआ
1.	डॉ० नरेन्द्र परमार C/O श्रीमती पुष्पा परमार, पता:-ए-279, सरस्वती नगर, सेन्ट एम्स स्कूल के पास, बासनी, फेज-प्रथम, जोधपुर(राज) 342005	एम-07	20.01.1982	SC	मेडिकल कॉलेज, जोधपुर।	SCM

आदेश से



( रतन लाल )  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को विभाग के पत्रांक प. 01 ( 09 )एम.ई/ग्रुप-1/2008 दिनांक 19.06.2017 के सन्दर्भ में।
4. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर, राजस्थान।
6. संबंधित अभ्यर्थी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



( महेश व्यास )  
सहायक शासन सचिव